

TS 02/2022

30.11.2022

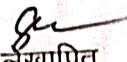
उभय पक्षों की ओर से हाजरी दी गई। प्रतिवादी के ओर से वादी के दिनांक-10.10.2023 के संशोधन आवेदन का प्रतिउत्तर दाखिल किया गया है। वाद पुकार कराया गया। वाद पुकार पर उभय पक्ष अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ न्यायालय में उपस्थित हुए।

वादी के विद्वान अधिवक्ता दिनांक-10.10.2023 को दाखिल अभिवचन संशोधन आवेदन अन्तर्गत आदेश-6 नियम-17 को संचालित करते हुए कथन करते हैं कि टाईपिंग भूल के कारण वाद पत्र में कुछ गलतियाँ हो गई हैं, जिसका संशोधन अपेक्षित है। आगे कथन करते हैं कि संशोधन प्रवृत्ति में औपचारिक है, और यह न तो वाद के प्रवृत्ति को बदलेगा न प्रतिवादीगण के हित को क्षति पहुँचयेगा। आगे कथन करते हैं कि वाद पत्र के पारा-02 के लाईन ग्यारह में खाता सं0-53 के खेसरा सं0-153, 154 के स्थान 8 डी0 टाईप हो गया है तथा लाईन 12 में खाता सं0-52 के खेसरा सं0-155, 139, 64 से कुल रकवा 80 डी0 के स्थान पर रकवा-40 डी0 टाईप हो गया है जिसे सुधार करना आवश्यक है और पारा-07 के लाईन 03 में खाता सं0-53 के खेसरा सं0-153 के स्थान पर 152 टाईप हो गया है जिसे सुधार करना आवश्यक है आगे कथन किये हैं कि अनुतोष (A) में खाता सं0-52 के खेसरा सं0-155 का रकवा-12 डी0 के स्थान पर रकवा-62 डी0 टाईप हो गया है तथा खाता सं0-53 के खेसरा सं0-153 के स्थान पर 152 टाईप हो गया है जिसे सुधार करना आवश्यक है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि वाद पत्र में लिखित संशोधन करने की अनुमति देने की कृपा की जाय।

प्रतिवादी अपने प्रतिउत्तर दिनांक-10.10.2023 के माध्यम से कथन करते हैं कि वादीगण द्वारा दाखिल आवेदन पत्र दिनांक-10.10.2023 तथ्य एवं कानून की दृष्टि से पोषणीय नहीं है। वादीगण द्वारा जो अपने वाद पत्र में जिस खाता, खेसरा एवं रकवा के सुधार हेतु आवेदन दिया गया है उस विवादित भूमि के दस्तावेज के विषय में कोई जिक्र नहीं किया गया है कि विवादित भूमि किसके नाम की सम्पत्ति है और कितनी है। वादीगण प्रतिवादीगण के केवाला वाली भूमि को वाद पत्र में जोड़कर वाद के स्वरूप को बदलना चाहता है जिससे प्रतिवादीगण को काफी क्षति होगी अतएव दस्तावेजीय साक्ष्य वादीगण द्वारा दाखिल जबतक नहीं करते तो सुधार आवेदन प्रतिवादीगण को क्षति होगी। वादीगण का दिनांक-10.10.2023 का संशोधन आवेदन के साथ दस्तावेजीय सबूत दाखिल नहीं किया गया है। प्रतिवादीगण की भूमि को वादी वाद में शामिल कर वाद को जटिल बनाना चाहते हैं। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रतिवादीगण द्वारा दाखिल प्रतिउत्तर के आलोक में वादीगण के दिनांक-10.10.2023 के संशोधन आवेदन को न्यायहित में अस्वीकृत करने की कृपा की जाय।

सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि वादी द्वारा प्रस्तावित संशोधन किये जाने से वाद की प्रकृति में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं हो रहा है। अतः ऐसी परिस्थिति में वादी की ओर से दाखिल उक्त संशोधन आवेदन को न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है। वादी को निर्देश दिया जाता है कि विहित समय के अन्दर अपने वाद-पत्र में संशोधन करे।

वाद दिनांक-14.12.2023 वारसे प्रतिस्थापित प्रतिवादी लिखित कथन हेतु।


लेखापित
मुंसिफ